

परिवहन विभाग,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
दूरभाष संख्या-0612-2547448

संचिका संख्या-स0 सु0/लीड एजेन्सी (नि0)-05-23/2018 (भाग-2), ...15... दिनांक-...03-01-2025

नियोजन हेतु विज्ञापन-01/2025

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के अधीन गठित "लीड एजेन्सी" के लिए **Road Safety Civil Engineer** के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का नाम	पद की संख्या	प्रतिमाह कुल वेतन	अधिकतम उम्र सीमा (01.01.2025 को)	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव
1	2	3	4	5
Road Safety Civil Engineer	1 (अनारक्षित)	रु0 65,000/- (नियत) (पैसठ हजार रु0)	उम्र-55 वर्ष	A Full Time Regular Engineering Degree in Civil. Minimum of Eight (8) years Post Qualification Experience in Road Safety/Transportation Sector. Must possess excellent working knowledge of Road Safety/Road Transportation . The candidate should have knowledge of CAD/CAM.

शर्तें-

- विज्ञापित पद का शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के विवरण तथा नियोजन की शर्तों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/transport> पर उपलब्ध है।
- उक्त पद हेतु रोड सेफ्टी/ट्रांसपोर्टेशन/रोड कंस्ट्रक्शन में 8 वर्ष तक के अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को ही योग्य माना जायेगा।
- उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सरकार के प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग-सह-सदस्य-सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- आवेदनपत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि 07.02.2025 को अपराह्न 06.00 बजे तक है। आवेदन पत्र स्वयं जमा कराये या रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट से भेजे। अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेंसी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।



परिवहन विभाग,

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्

विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।

दूरभाष संख्या-0612-2546449

विज्ञापन संख्या-स0सु0/लीड एजेन्सी (नि0)-05-23/2018 (भाग-2)

विज्ञापन संख्या- 01/2025

(रोड सेफ्टी सिविल इंजीनियर पद हेतु आवेदन पत्र)

1. आवेदक का नाम:-.....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम:-.....
3. स्थायी पता:-.....
4. पत्राचार का स्थानीय पता:-.....
5. मोबाईल नं0:-.....ई-मेल आई. डी.....
6. जन्म तिथि:-.....दिनांक 01.01.2025 को उम्र:-.....
7. आरक्षण कोटि:-.....
8. शैक्षणिक योग्यता:-.....9. तकनीकी योग्यता:-.....
10. वर्तमान/अंतिम पद एवं वेतनमान:-.....11. कुल कार्य अनुभव:-.....
12. पुरस्कार/मेडल (यदि प्राप्त हुआ हो, तो):-.....
13. सेवा अवधि में कभी दण्डात्मक कार्रवाई हुई हो, तो उसका विवरण:-.....
14. लंबित विभागीय कार्रवाई:-.....
15. किसी Case में Conviction हुआ हो अथवा लंबित हो, तो उसका विवरण:-.....
16. कार्य अनुभव का ब्यौरा:-.....(आवश्यकतानुसार A4 पेपर पर अलग से संलग्न किया जा सकता है).....

हाल का फोटो

क्र0सं0	विभाग/संगठन का नाम	पदनाम	मसिक वेतन	कार्य अवधि	किये गये कार्य की विवरणी	रोड सेफ्टी/ रोड ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में किये गये कार्य की विवरणी

17. सभी प्रमाण पत्रों यथा- शैक्षणिक, अनुभव, वेतन विपत्र एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वेतन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

घोषणा

मैं.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सारी जानकारी/सूचना सत्य है तथा इसे गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

(आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर)

नियोजन हेतु सामान्य शर्तें:—

1. उक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन प्रथमतः एक वर्ष के लिए किया जाएगा। उसके बाद उनके कार्यकलापों, आवश्यकता एवं उनकी सेवा संतोषजनक पाये जाने पर एक-एक वर्ष के लिए सेवा विस्तारित की जा सकेगी। सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी के मामले में अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।
2. सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी के वेतन/मानदेय का निर्धारण बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जायगा।
3. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायगा।
4. वैसे आवेदक, जिन पर कोई आपराधिक मामला अथवा निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन हो; का चयन नहीं किया जायगा।
5. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका दावा मान्य नहीं होगा।
6. अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग-सह-सदस्य सचिव द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सकारण आदेश (Reasoned Order) पारित करते हुये अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
7. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि में उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायगा और इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोजन एवं पदस्थापन आदेश प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग-सह-सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना द्वारा निर्गत किया जायगा।
9. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायगा।


राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेंसी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।